the pioneer
RANCHI | FRIDAY | MARCH 18, 2016

Mediation resolves 9-yr old assets case

Altogether 15 cases were filed against each other in nine years

MUKESH RANJAN ■ RANCHI

A file photo of the mediation centre at Ranchi Civil Court premises in Ranchi

Adding more feathers to its cap, Ranchi Mediation Centre succeeded in resolving altogether 15 cases filed consecutively against each other by two parties since 2007. The matter was referred to Advocate LK Giri for mediation on the directions of Principal Judicial Commissioner AV Singh.

"Matter was related to the war of supremacy between the members of two camps of Maharshi Nikhilesh Seva Sansthan Ranchi where the two parties filed as many as 15 cases against each other in the last nine years which are still pending in different courts of Ranchi," said advocate Giri. The matter was settled on the conditions that Jyoti Swaroop will remain Chairperson of the organization while Satyendra Prajapati, Ranbir Singh and Rajesh Kumar Verma will not interfere in carrying out his duties, added Giri.

"In the mean time, the two parties will withdraw all the cases filed against each other within 45 days as per the provisions of the law. The two parties also agreed to withdraw other cases also which might have not been put into the notice of the court," Giri said.

The matter relates to an anticipatory bail application (ABP), filed by Satyendra Prajapati and others which was referred to Ranchi Mediation Centre appointing Giri as mediator on February 9, 2016.

"The matter was finally settled between the two parties on March 16 after a total of nine sittings during which both the parties were also persuaded separately so that they could open up before us and the matter could be resolved. Advocates from both the sides – Rohit Ranjan Prasad and Avinash Pandey-also co-operated and making all efforts in convincing their clients that it was beneficial for them to settle the matter," said Giri.

According to the advocate, both the parties agreed to shed their ego and sacrifice their rights to get the matter resolved.

Ranchi Mediation Centre, currently having 6 mediators and one conciliator, intends to take its success rate up to 60-65 per cent against the current rate of 58 per cent which itself is the highest in the state.

"In order to make it more effective, a panel of 20 eminent lawyers, doctors, engineers, journalists, retired police officers and bureaucrats has been formed providing them five-day training so that they could be roped in to resolve more and more cases," said DLSA Secretary RK Pathak. At the mediation centre, people are given an opportunity to open up before the experts so that the basic reason behind the case could be reached out, Pathak added.

"Once the basic reasons behind the cases are known it becomes easier to convince both parties to reach to a consensus and settle the matter after shedding their individual ego," he added.

खबर मन्त्र 04 रांची, गुरुवार, 17 मार्च, 2016

प्रधान न्यायायुक्त की पहल पर सुलझा विवाद

● मध्यस्थता से सुलझा महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का पुराना विवाद

रांची। महर्षि निखिलेश सेवा संस्था से जुड़े नौ साल पुराने विवाद मध्यस्थ के माध्यम से नौ बैठकों में बुधवार को सुलझा। विवाद को सुलझाने में सिविल कोर्ट स्थित मध्यस्थता केन्द्र के मेडिएटर अधिवक्ता एलके गिरि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोनों गुट के आपसी सहमति पर विवाद को सुलझते ही इससे जुड़े लगभग 15 मुकदमों को मई महीने तक उठा लेने पर सहमति बनी। महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का विवाद वर्ष 2007 से चल रहा था। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई अपराधिक व दीवानी मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ दायर किये गये थे। विवाद समाप्त कराने में दोनों पक्षों के अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद व अविनाश पांडेय का भी योगदान रहा।

समझौता कर विवाद को किया गया खत्म

सेवा संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप और सत्येन्द्र प्रजापति, रणवीर सिंह व राजेश कुमार वर्मा के बीच समझौता हुआ। जिसमें कहा गया कि ज्योति स्वरूप सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं। वह संस्था के कार्य का संचालन करेंगे तथा सत्येन्द्र प्रजापति गुट किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों पक्ष विवाद को खत्म कर हाथ मिलते हुए खुशी-खुशी घर गये।

प्रधान न्यायायुक्त ने मुकदमा को भेजा था मध्यस्थता केन्द्र

अधिवक्ता एलके गिरि ने बताया कि सत्येन्द्र प्रजापति, रणवीर सिंह, राजेश कुमार वर्मा ने पिठोरिया थाना कांड संख्या 96/14 के विरूद्ध अग्रिम जमानत याचिका प्रधान न्यायायुक्त एवी सिंह की अदालत में दायर की थी। श्री सिंह ने विवाद की स्थिति को देखते हुए मुकदमे को मध्यस्थता केन्द्र भेजा था।

रांची, 17 मार्च 2016 दैनिक जागरण | 7

नौ साल का विवाद नौ बैठक में सुलझा

रांची : महर्षि निखिलेश सेवा संस्था से जुड़ा नौ साल पुराना विवाद मध्यस्थों के माध्यम से नौ बैठकों में बुधवार को सुलझ गया। विवाद को सुलझाने में सिविल कोर्ट स्थित मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थ अधिवक्ता एलके गिरि की भूमिका रही। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर विवाद को सुलझते ही इससे जुड़े करीब 15 मुकदमों को मई महीने तक उठा लेने (समझौता) पर सहमति बनी। महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का विवाद वर्ष 2007 से चल रहा था। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई आपराधिक व दीवानी मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ दर्ज किए गए थे। विवाद समाप्त कराने में दोनों पक्षों के अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद व अविनाश पांडेय का भी योगदान रहा। यह मामला समझौता से सुलझा। सेवा संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप और सत्येन्द्र प्रजापतिए रणवीर सिंह व राजेश कुमार वर्मा के बीच समझौता हुआ। कहा गया कि ज्योति स्वरूप सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं। वह संस्था के कार्य का संचालन करेंगे तथा सत्येन्द्र प्रजापति गुट किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

रांची, गुरुवार 17.03.2016 04

प्रभात खबर

सिटी अपडेट

महर्षि निखिलेश संस्था का मामला सुलझा

रांची. सिविल कोर्ट में चल रहे महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का अपराधिक व दीवानी मामले का विवाद मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलझ गया. महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का करीब 15 अपराधिक व दीवानी मामले सिविल कोर्ट के विभिन्न अदालत में चल रहे थे. प्रधान न्यायुक्त द्वारा नामित मध्यस्थता केंद्र की मध्यस्थता से अधिवक्ता एलके गिरि ने मामला को सुलझाया. संस्था के अध्यक्ष ज्योतिस्वरूप ने पिठोरिया थाना में पूर्व कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, महासचिव राजेश वर्मा व उप कोषाध्यक्ष सत्येंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

दैनिक भास्कर रांची, गुरुवार 17 मार्च, 2016 7

महर्षि निखिलेश सेवा संस्थान के विवाद को विचार-विमर्श से निबटाने पर सहमति

रांची | करीब नौ दिनों की बैठकों के बाद मध्यस्थता केंद्र ने महर्षि निखिलेश सेवा संस्था से जुड़े विवाद को निपटाया। बुधवार को मीडिएटर एलके गिरि के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप और विपक्षी टीम राजेश कुमार वर्मा, रणवीर सिंह और सत्येंद्र प्रजापति मौजूद थे। दोनों पक्षों ने स्वीकारा कि एक-दूसरे के खिलाफ पहले दर्ज कराए गए दीवानी और फौजदारी मामलों को आपसी विचार-विमर्श से समाप्त कर लिया जाएगा। मालूम हो कि दोनों पक्षों के बीच 2007 से विवाद चल रहा है। इस विवाद के वजह से कुल 16 मामले अदालत में सुनवाई के लिए लंबित थे, जो दोनों एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए थे।

3 रांची एक्सप्रेस रांची, बृहस्पतिवार 17 मार्च 2016

मध्यस्थता से सुलझा महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का विवाद

रांची, 16 मार्च (रां.ए.सं.) : पिछले नौ वर्षों से चला आ रहा महर्षि निखिलेश सेवा संस्था का विवाद आज मध्यस्थता के माध्यम से सुलझ गया। आज मध्यस्थता केन्द्र रांची में महर्षि निखिलेश सेवा संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप एवं सत्येन्द्र प्रजापति, रणवीर सिंह तथा राजेश कुमार वर्मा के बीच यह समझौता हुए कि सूचक ज्योति स्वरूप महर्षि निखिलेश सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं वे संस्था के कार्य का संचालन करेंगे तथा सत्येन्द्र प्रजापति, रणवीर सिंह तथा राजेश कुमार वर्मा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह भी सहमति बनी कि दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे पर किये गये 15 मुकदमें डेढ़ माह के अन्दर न्यायालय से समाप्त करवा लेंगे। मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच कुल नौ बैठकें हुई और मध्यस्थता के रूप में एल.के. गिरि का सराहनीय योगदान रहा।